न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 47 / 2021

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स–**
गुलमोहम्मद पुत्र मुबारक खान जाति मुसलमान निवासी जुनोजों मेहरों की बस्ती, तहसील व जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बाड़मेर 2. नायब तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 197 दिनांक 09.05.2011 जो नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खारिज किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश मंगल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.03.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम सुथारों की ढाणी तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 197 पर नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश दिनांक 09.05.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 405 / 309 रकबा 17.00 बीघा भूमि गुलमोहम्मद पुत्र मुबारक कौम मुसलमान सा0 जुणेजों मेहरों की बस्ती के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। तहसीलदार बाड़मेर [illegible] / 1042–44 दिनांक 07.03.2011 की पालना में [illegible] से खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 197 [illegible] तहसीलदार बाड़मेर [illegible] प्रस्तुत किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर भू–अभिलेख निरीक्षक कवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा टिप्पणी अंकित की गई कि ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 405/309 में गैर खातेदार गुलमोहम्मद की संवत 2064 में काश्त दर्ज नहीं हैं। गैर खातेदार रहते हुए गुलमोहम्मद द्वारा उक्त भूमि किराया पर दी गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी से दिनांक 31.10.2006 को 42054/– रू. दिनांक 24.09.2007 को 30,000/– रू. दिनांक 20.10.2008 को 30,000/– रू. दिनांक 03.08.2009 को 30,000/– रू. कुल 1,32,054/– रू. गैर खातेदार रहते हुए किराया प्राप्त किया। जो गैर खातेदार द्वारा लगातार काश्त नहीं की भूमि किराये पर दी गई जो कि आवंटन शर्तों की अवहेलना हैं। अतः नामान्तरकरण खारिज काबिल हैं। इस पर नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2011 के द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया। उक्त अस्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलांट ने यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 14.12.2021 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीना नामान्तरकरण मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 405/309 रकबा 17.00 बीघा भूमि अपीलांट गुलमोहम्मद पुत्र मुबारक कौम मुसलमान सा0 जुणेजों मेहरों की बस्ती के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। तहसीलदार बा[illegible] आदेश दिनांक 07.03.2011 पारित कर अपीलांट को [illegible] राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु हलका पटवारी को [illegible] किया। इसके अनुसरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हलका पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 197 दायर कर स्वीकृति हेतु सक्षम हलका राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तरकरण को रेस्पोडेंट नायब तहसीलदार द्वारा गलत रूप से भूमि किराये पर देना अंकित कर अस्वीकृत करने का मनमाना आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि को किराये पर नहीं दिया गया है बल्कि भूमि अवाप्ति अधिकारी बाड़मेर के आदेश अनुसार मैसर्स केयर्न एनर्जी इंडिया प्रा0 लि0 हेतु अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए अवाप्त की गई थी। उक्त सरकारी आदेश अनुसार भूमि जनहित में अस्थाई रूप से ली गई थी जो बाद में कब्जा हटा दिया गया। इस प्रकार नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्य की भूल के कारण निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर बैंक से केसीसी लेने हेतु हलका पटवारी से चालू जमाबंदी की नकल लेने गया तब दिनांक 08.12.2021 को सर्वप्रथम जानकारी में आया कि नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश द्वारा उन्हे गैर खातेदार घोषित कर दिया है। इस पर सम्यक तत्परता से अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है लिहाजा न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा कर अपील मैरिट पर उचित आदेश द्वारा निस्तारण करने का श्रम करावें।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा गैर खातेदार रहते हुए आवंटन की निर्धारित शर्तों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन है, जो खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 405/309 रकबा 17.00 बीघा भूमि गुलमोहम्मद पुत्र मुबारक कौम मुसलमान सा0 जुणेजों मेहरों की बस्ती के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक /राज/11/1042–44 दिनांक 07.03.2011 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 197 दायर कर नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर भू–अभिलेख निरीक्षक कवास द्वारा टिप्पणी अंकित की गई कि ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 405/309 में गैर खातेदार गुलमोहम्मद की संवत 2064 में काश्त दर्ज नहीं हैं। गैर खातेदार रहते हुए गुलमोहम्मद द्वारा उक्त भूमि किराया पर दी गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी से दिनांक 31.10.2006 को 42054/– रू. दिनांक 24.09.2007 को 30,000/– रू. दिनांक 20.10.2008 को 30,000/– रू. दिनांक 03.08.2009 को 30,000/– रू. कुल 1,32,054/– रू. गैर खातेदार रहते हुए किराया प्राप्त किया। जो गैर खातेदार द्वारा लगातार काश्त नहीं की भूमि किराये पर दी गई जो कि आवंटन शर्तों की अवहेलना हैं। अतः नामान्तरकरण खारिज काबिल हैं। इस पर नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2011 के द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं एवं तथ्यों का उद्देश्यपरक निश्चय (Objective Consideration) किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के संलग्न भूमि अवाप्ति अधिकारी (एसडीओ) बाड़मेर को नोटिस जारी किया है जिसमें विवादित भूमि मैसर्स केयर्न एनर्जी इंडिया प्रा0 लि0 के ... अस्थाई रूप से अवाप्त किये जाने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपनी भूमि स्वेच्छया किराये पर देकर आवंटन शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर बाड़मेर

किया गया है बल्कि विधि के बाध्यकारी प्रावधानों के तहत भूमि अस्थाई रूप से अवाप्त की गई है। इसके अलावा जब अपीलांट को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने का सक्षम स्वीकृति आदेश तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित कर दिया था तो फिर उसके प्रतिकूल भू–अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाना कतई विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 197 पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2011 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा सुथारों की ढाणी के नामान्तरकरण सं. 197 पर पारित आदेश को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने के संबंध में उचित जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested